निरीक्षण आख्या कायार्लय **उपजिलाधिकारी,** बाजपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत कार्यालय उपजिलाधिकारी, बाजपुर के अवधि **05/2012** से **07/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री टी0एस0 नेगी , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस0 के0 डंग सुपर्वाइज़र** द्वारा दिनांक **03.08.16** से **06.08.16** तक **श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

<u>भाग-प्रथम</u>

परिचयात्मकः- इस कायार्लय की प्रथम लेखा परीक्षा थी।

वर्तमान माह **05/12** से **07/16** तक के लेखा अभिलखो की जाच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत समय अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री नन्दन सिंह नगन्याल	एस 0डी 0एम	31-052012	08-04-2013
2.	श्री भगत सिंह फोविया	एस0 डी0 एम	28-05-2014	18-03-2015
3.	इलागिरी	एस0 डी0 एम	29-05-2013	27-05-2014
4.	श्री तीरथपल	एस 0डी 0एम	18-03-2015	05-04-2016
5.	श्री पूरन सिंह राणा	एस0 डी0 एम	05-04-2016 से ले0	प0 तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

प्रतिवेदन स0	**भाग- दो (अ)**	**भाग- दो (ब)**	**STAN**
-	**-**	**प्रथम लेखा परीक्षा**	**-**

(1) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(2) अप्रस्तुत अभिलेख :- **शून्य**

3. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2013-14	-	-	85.05	72.31
2014-15	-	-	67.33	67.16
2015-16	-	-	79.95	71.90
2016-17 (07/2016)	-	-	26.60	23.70

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर 01- विगत तीन वर्षो मे विभिन बकायो (बैंक ऋण बिक्रीकर, विधुत देय इत्यादि) की वसूली न होना।

(रू0 167.08 लाख)

इकाई की वितीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दोरान विभिन विभागो के बकायो की शुद्ध मांग के सापेक्ष वसूली की स्थिति निम्नवत् थी-

वितीय वर्ष	मद स0	शुद्ध मांग रु0 (लाख मे)	वसूली रु0 (लाख मे)	अवशेष (रु0 लाख मे)
2013-14	विविध देय (बैंक ऋण बिक्रीकर विधुतदेय आदि)	112.89	86.87 77%	26.02 23%
2014-15	विविध देय (बैंक ऋण बिक्रीकर विधुतदेय आदि)	222.73	188.78 85%	33.95 15%
2015-16	विविध देय (बैंक ऋण बिक्रीकर विधुतदेय आदि)	439.37	332.26 76%	107.11 24%
	कुल योग	**774.99**	**607.91**	**167.08**

इस प्रकार वर्ष 2013-14, 2014-15 एव 2015-16 मे शुद्ध मांग के सापेक्ष क्रमश: 77%, 85%, व 76% वसूली की गई तथा उपरोक्त अवधियो मे कुल शुद्ध मांग रु0 774.99 लाख के सापेक्ष रु0 607.91 लाख की वसूली की गई शेष रु0 167.08 लाख अभी वसूल किया जाना है।

मांग के सापेक्ष वसूली कम किए जाने की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वसूली की कार्यवाही तेज कर दी जाएगी।

उत्तरसंगोषजनक नहीं है। प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो **'ब'**

प्रस्तर :02- निर्माणाधीन भवन रु0 441.73 लाख की अभिलेख नहीं पाया जाना ।

उत्तराखंड सरकार के शासनादेश स0 82-(1)xviii(1)/2014 दि0 07.02.2014 के अनुसार जनपद ऊधमसिंहनगर

के तहसील बाजपुर मे अनावासीय भवनो के निर्माण कार्य स्वीक्रत किये थे प्रकरणो की लेखापरीक्षा मे संबधित अभिलखो की जाच मे पाया गया गया कि निर्माणाधीन भवन कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा निष्पादित कराया गया।

लेखपरीक्षा के दौरान प्रकाश मे आया कि निर्माणाधीन भवन से संबधित अभिलखो के रखरखाव मे तहसील कार्यालय द्वारा अनभिज्ञता प्रकट की गयी आगणन संबधी पत्रावली , वितिय भौतिकी प्रगति रिपोर्ट तथा कार्य पर भारित व्यय का लेखांकन अभिलख अनुपलब्ध पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया मात्र लेखापरीक्षा ज्ञाप पर सहायक अभियंता PWD बाजपुर को आख्या देने क संबधी टिप्पणी उपजिलाधिकारी, बाजपुर द्वारा की गयी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योकि भवन बाजपुर तहसील की थी। निर्माणाधीन भवन की निरीक्षण की ज़िम्मेदारी तथा अभिलखो की रखरखाव की दायित्व संबधित इकाई की थी।

अत: व्यय के लेखाकन तहसील के अभिलखो मे नहीं कर पारदर्शिता की क़मी का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका निराकरण लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **कार्यालय उपजिलाधिकारी बाजपुर उत्तराखण्ड जिला उधमसिंहनगर** को इस आशय से प्रेषित किया गया कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र